



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 93]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 15 मार्च 2024—फाल्गुन 25, शक 1945

लोक सेवा प्रबंधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 मार्च 2024

क्र. P-1928602-2024-लोसेप्र/61-1-.-मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, वाणिज्यिक कर विभाग के अंतर्गत आबकारी विभाग द्वारा निम्नानुसार सेवा पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी के पदनाम, प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत वाणिज्यिक कर विभाग के अंतर्गत आबकारी विभाग की सेवा—

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	बोतलबंद देशी/विदेशी मदिरा (स्प्रिट/बीयर) एवं ई.एन.ए./रेक्ट्रीफाईड स्प्रिट का आयात एवं परिवहन उपरान्त सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना.	गंतव्य इकाई/भाण्डागार का भारसाधक अधिकारी	परेषण प्राप्त होने पर संपूर्ण पूर्ति के उपरान्त निराकरण 15 दिवस.	उपायुक्त आबकारी, संभागीय उडनदस्ता, मध्यप्रदेश.	15 दिवस	आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश.

क्र. P-1815843-2024-लोसेप्र/61-1-.-मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग अंतर्गत नियंत्रक नाप-तौल द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली नवीन सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवाएं प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण अंतर्गत नियंत्रक नाप-तौल की सेवाएं—

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
34.20	निर्माता अनुज्ञप्ति में संशोधन	नियंत्रक, नाप-तौल द्वारा अधिकृत अधिकारी (संयुक्त नियंत्रक/दाशमिक अधिकारी)	10 कार्य दिवस	नियंत्रक, नाप-तौल	30 कार्य दिवस	प्रमुख सचिव, खाद्य
34.21	विक्रेता अनुज्ञप्ति में संशोधन	नियंत्रक, नाप-तौल द्वारा अधिकृत अधिकारी (संयुक्त नियंत्रक/दाशमिक अधिकारी)	10 कार्य दिवस	नियंत्रक, नाप-तौल	30 कार्य दिवस	प्रमुख सचिव, खाद्य
34.22	सुधारक अनुज्ञप्ति में संशोधन	नियंत्रक, नाप-तौल द्वारा अधिकृत अधिकारी (संयुक्त नियंत्रक/दाशमिक अधिकारी)	10 कार्य दिवस	नियंत्रक, नाप-तौल	30 कार्य दिवस	प्रमुख सचिव, खाद्य
34.23	पैकबंद वस्तुओं के निर्माता/पैककर्ता/आयातकर्ता का पंजीयन में संशोधन	नियंत्रक, नाप-तौल द्वारा अधिकृत अधिकारी (संयुक्त नियंत्रक/दाशमिक अधिकारी)	07 कार्य दिवस	नियंत्रक, नाप-तौल	30 कार्य दिवस	प्रमुख सचिव, खाद्य

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गिरीश शर्मा, उपसचिव.